

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन-भवन" अजमेर

क्रमांक: एफ-7(31)जन/2017/ 11751

दिनांक : 6/10/17

-: परिपत्र :-

विषय : The Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत।

The Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :-

धारा (2) की उपधारा (5) "attachment" means the prohibition of transfer, conversion, disposition or movement of property, by an order issued under this Act;

उपधारा (9) (D) (i) consideration for such property has been provided by the person to whom possession of property has been allowed but the person who has granted possession thereof continues to hold ownership of such property;

(ii) stamp duty on such transaction or arrangement has been paid; and

(iii) the contract has been registered.

धारा (10) "benamidar" means a person or a fictitious person, as the case may be, in whose name the benami property is transferred or held and includes a person who lends his name;

उपधारा (16) "fair market value", in relation to a property, means—

(i) the price that the property would ordinarily fetch on sale in the open market on the date of the transaction; and

(ii) where the price referred to in sub-clause (i) is not ascertainable, such price as may be determined in accordance with such manner as may be prescribed;

उपधारा (26) "property" means assets of any kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal and includes any right or interest or legal documents or instruments evidencing title to or interest in the property and where the property is capable of conversion into some other form, then the property in the converted form and also includes the proceeds from the property;


उपधारा (29) "transfer" includes sale, purchase or any other form of transfer of right, title, possession or lien;

धारा 6. Prohibition on re-transfer of property by benamidar.—(1) No person, being a benamidar shall re-transfer the benami property held by him to the beneficial owner or any other person acting on his behalf.

(2) Where any property is re-transferred in contravention of the provisions of sub-section (1), the transaction of such property shall be deemed to be null and void.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall not apply to a transfer made in accordance with the provisions of section 190 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016).

अतः The Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 के तहत उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्पत्ति के हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अधिनियम के तहत जब्त की गई सम्पत्ति के हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं हो एवं जानकारी में आने पर संबंधित आयकर विभाग को सूचित करने की कार्यवाही की जावे।


29/10/17
(डॉ. राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक

क्रमांक: एफ-7(91)जन/2017/ 11752-12352

दिनांक : 6-10-17

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. आयकर अधिकारी (अन्वे) (मुख्या) कृते महानिदेशक आयकर (अन्वे) एवं संयोजक आर.ई.आई.सी., केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाइट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
10. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर